राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/एस.एच.जी./मबावि/2005/ 91907-92955 जयपुर, दिनांक 12/11/05

उप निदेशक (बाल विकास)
एवं पदेन परियोजना निदेशक,
जिला महिला विकास अभिकरण,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
(समस्त)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला एव बाल विकास विभाग,
(समस्त)

विषय :– स्वयं सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गरम पौष्टिक पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश।

उपर्युक्त विषय में विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह, मातृ समिति एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गरम पौष्टिक पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था के संदर्भ आदेश क्रमांक F26(4)()/WB- II (T&C) / WCD/05/ 14226 –258 दिनांक 20.09.05, एफ.4 (1)( )पोषा/SHG/मबावि/2005/85501–790 दिनांक 20.10.2005 एवं एफ.4(1)( )पोषा/SHG/मबावि/2005/85203–490 दिनांक 20.10.2005 प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं।

प्रथम चरण में दिनांक 16 नवम्बर, 2005 से प्रत्येक बाल विकास परियोजना के एक सेक्टर में इस योजना को लागू किया जावेगा, एवं तत्पश्चात चरणबद्ध रूप से आगामी तीन माह में इसका विस्तार सम्पूर्ण प्रदेश में किया जावेगा। नवीन व्यवस्था के कियान्वयन के सम्बन्ध में सामान्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी है :–

(1) ऐसे आंगनबाडी केन्द्र जो स्कूल प्रांगण/परिसर में संचालित हैं, उन केन्द्रों पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह जिनका बैंक में खाता खुला हुआ है और वह गरम पका हुआ भोजन तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है एवं तत्पर है, एसे समूह के माध्यम से पका हुआ भोजन दिया जाएगा।

(2) ऐसे आंगनबाडी केन्द्र जो स्कूल प्रागण/परिसर में संचालित नहीं है एवं इन केन्द्रों के लिए सहकारिता विभाग द्वारा चयनित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति उपलब्ध है तो ऐसे केन्द्रो पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से की जायेगी। अन्नूपर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से यह व्यवस्था प्रत्येक पंचायत समिति में दो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत संचालित आंगनबाडी केन्द्रों हेतु की जा सकेगी।

(3) शेष अन्य आंगनबाडी केन्द्रों पर मातृ समिति की देखरेख में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय कर पकाया जाकर लाभान्वितों को पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति/मातृ समिति के माध्यम से दी जाने वाली गरम पूरक पोषाहार की रेसीपी का विवरण निम्नलिखित प्रकार है :--

खिचड़ी

सामग्री	अनुमानित दर रू. प्रति किं	मात्रा (ग्राम में)	राशि (पैसो में)
चावल	13	55	71
दाल छिलका	26	20	52
नमक/हल्दी	–	–	01
तेल	40	05	20
ईधन	–	–	10
कुल		80.00	154

दलिया

सामग्री	अनुमानित दर रू. प्रति किग्रा.	मात्रा (ग्राम में)	राशि (पैसो में)
गेहूं दलिया	10	40	40
दाल छिलका	26	25	65
गुड	18	32	58
तेल	40	05	20
ईधन	–	–	10
कुल		102.00	193

* लाभान्वितों को एक दिवस खिचडी एवं अगले दिवस दलिये का वितरण क्रमिक रूप से किया जायेगा।

(नोट :– रेसीपी में परिवर्तन समय–समय पर विभाग द्वारा किया जा सकता है।)

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरम पूरक पोषाहार वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश

(1) नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम आपको अपने कार्यक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना/परियोजनाओं में ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों का निर्धारण करना है जो विद्यालय परिसर में चल रहे हैं।

(2) जिस क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र विद्यालय परिसर में स्थित हैं, उस क्षेत्र से एक सक्षम एवं क्रियाशील स्वयं सहायता समूह का चयन अविलम्ब किया जावे जो वर्ष 3 से 6 आयुवर्ग के लाभान्वितों को प्रतिदिन निर्धारित रेसीपी के अनुसार गरम एवं पौष्टिक पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने में रूचि रखता हो, वरीयता ऐसे स्वयं सहायता समूहों दी जावे जिनका पूर्व से ही बैंक खाता संचालित हो। ऐसे स्वंय सहायता समूहों का चयन कर उनके साथ एक औपचारिक समझोता सम्पादित किया जावे, जिसमें इन निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण गरम पूरक पोषाहार स्वास्थ्य के नियमों एवं साफ–सफाई का ध्यान रखते हुए बनाकर लाभान्वितों को उपलब्ध करवाने का बिन्दु सम्मिलित हो।

(3) स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह समूह कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो तथा समूह की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ हो। स्वयं सहायता समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि गरम पूरक पोषाहार बनाने के बर्तनों एवं पोषाहार हेतु खाद्य सामग्री की व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों को अपने आर्थिक स्त्रोतों से करनी होगी।

(4) स्वयं सहायता समूह को उपर्युक्त रेसीपी के अनुसार माह में 25 दिन वर्ष 3 से 6 आयुवर्ग के लाभान्वितों को गरम भोजन उपलब्ध करवाना होगा। स्वयं सहायता समूह यह कार्य मातृ समिति की देख–रेख एवं पर्यवेक्षण में करेंगे। भोजन बनाने में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा, भोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री अच्छी किस्म की हो यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह का होगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्वास्थ्य एवं साफ सफाई सम्बन्धी पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगी। स्वयं सहायता समूह को एक दिन खिचडी व अगले दिन दलिया और आगे इसी क्रम में गरम पूरक पोषाहार के रूप में उपलब्ध करवाना होगा।

(5) विभाग स्वयं सहायता समूह को प्रति लाभान्वित प्रतिदिन रू. 2.00 की दर से राशि का पुर्नभरण करेगा। सम्बन्धित आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं सहायता समूह को यह सूचना उपलब्ध करवाई जायेगी कि आगामी कार्य दिवस पर कितने बच्चों का गरम पूरक पोषाहार स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाकर उपलब्ध करवाया जाना है।

(6) पूरक पोषाहार की रेसीपी तैयार करने हेतु आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह अपने स्तर पर करेगा एवं इसके लिए किसी प्रकार की राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।

(7) विभाग द्वारा निर्धारित की गई रेसीपी का औसत मूल्य राशि रू. 1.74 (परिवर्तन योग्य) प्रति लाभन्वित प्रतिदिन है। विभाग द्वारा इसके लिए राशि रू. 2.00 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जायेगी एवं अन्तर की राशि 26 पैसे प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के पेटे स्वयं सहायता समूह रेसीपी के अनुसार सामग्री तैयार करेगा एवं प्रोसेसिंग चोर्जेज के अतिरिक्त बची राशि स्वयं सहायता समूह का लाभ माना जावेगा।

(8) स्वयं सहायता समूह को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में किये गये कार्य का हिसाब रखना होगा एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्डों के अनुसार ही मासिक व्यय का पुर्नभरण किया जायेगा। बाल विकास परियेाजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अधिकतम 15 दिवस में स्वयं सहायता समूह द्वारा किये गये मासिक व्यय का पुर्नभरण कर दिया जावे।

(10) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह के साथ विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक समझौता निष्पादित किया जायेगा।

(11) स्वयं सहायता समूह द्वारा आपूर्ति किये गये पूरक पोषाहार के लाभान्वितों का विवरण आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता के प्रमाणीकरण उपरांत इस प्रमाणीकरण पर प्रति–हस्ताक्षर महिला पर्यवेक्षक द्वारा आलेखों के आधार पर किया जायेगा। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी लाभान्वितों की संख्या एवं प्रमाणीकरण के आधार पर व्यय का पुर्नभरण दिये गये निर्देशों के अनुरूप करने में सक्षम होगा।

(12) स्वयं सहायता समूह को समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से उनके खाते में ही किया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूह को नगद भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

(13) विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 7 संलग्न किये जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा/आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा इन निर्धारित प्रपत्रों में सूचना संकलित कर रखना अनिवार्य है।

(14) पोषाहार से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूहों के लेखे का अंकेक्षण समय–समय पर किया जा सकेगा।

(15) केयर संपोषित जिलो (भरतपुर, जोधपुर पाली, चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर एवं भीलवाडा) में स्थित आंगनबाडी केन्द्रों में जहां प्रति लाभन्वित बच्चा 8 ग्राम सोया ऑयल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसका पूरा–पूरा उपयोग उपरोक्त निर्धारित रेसीपी के अनुसार गरम भोजन बनाने में किया जायेगा। स्वयं सहायता समूह को प्रति लाभान्वित प्रतिदिन राशि रू. 1.80 (तेल के मूल्य को कम करते हुए) की दर से पुर्नभरण किया जायेगा।

(16) पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

(17) उपर्युक्त व्यवस्था डूंगरपुर, बांसवाडा एवं राजसमंद जिलों में लागू नहीं होगी जहां विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत इण्डिया मिक्स पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से गरम पूरक पोषाहार वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश

(1) नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम आपको अपने कार्यक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना/परियोजनाओं में ऐसे आंगनबाडी कैन्द्रों का निर्धारण करना है जो विद्यालय परिसर में नहीं चल रहे हैं।

(2) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को उपर्युक्त रेसीपी के अनुसार माह में 25 दिन 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के लाभान्वितों को गरम भोजन उपलब्ध करवाना होगा। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां यह कार्य मातृ समितियों की देख–रेख एवं पर्यवेक्षण में करेंगी। भोजन बनाने में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा, भोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री अच्छी किस्म की हो यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी सम्बन्धित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति का होगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्वास्थ्य एवं साफ सफाई सम्बन्धी पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगी। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को एक दिन खिचडी व एक दिन दलिया गरम पूरक पोषाहार के रूप में उपलब्ध करवाना होगा।

(3) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को दो माह की आवश्यकता के अनुरूप अग्रिम राशि सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकेगा एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा किये गये व्यय का पुर्नभरण भी सहकारिता विभाग अपने स्तर से करेगा, इसके लिए विभागीय मद से राशि के आहरण हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया जा रहा है।

(4) पूरक पोषाहार की रेसीपी तैयार करने हेतु आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी एवं इसके लिए किसी प्रकार की राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।

(5) विभाग द्वारा निर्धारित की गई रेसीपी का औसत मूल्य राशि रू. 1.74 (परिवर्तनीय) प्रति लाभान्वित प्रतिदिन है। विभाग द्वारा इसके लिए राशि रू. 2.00 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जायेगी एवं अन्तर की राशि 26 पैसे प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के पेटे अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां रेसीपी के अनुसार सामग्री तैयार करेगी एवं प्रोसेसिंग चोर्जेज के अतिरिक्त बची राशि अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों का लाभ माना जावेगा।

(6) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में किये गये कार्य का हिसाब रखना होगा एवं इसकी सूचना प्रतिमाह सम्बन्धित आंगनबाडी कार्यकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। आंगनबाडी कार्यकर्ता के सत्यापन उपरांत ही सहकारिता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदण्डों के अनुसार ही व्यय का पुर्नभरण किया जा सकेगा।

(7) उपर्युक्त व्यवस्था डूंगरपुर, बांसवाडा एवं राजसमंद जिलों में लागू नहीं होगी जहां विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत इण्डिया मिक्स पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

(8) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा आपूर्ति किये गये पूरक पोषाहार के लाभान्वितों का विवरण आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता के प्रमाणीकरण उपरांत इस प्रमाणीकरण पर प्रति–हस्ताक्षर निरीक्षक, सहकारी समितियां के द्वारा आलेखों के आधार पर किया जायेगा। सम्बन्धित जिले का सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां के द्वारा लाभान्वितों की संख्या एवं प्रमाणीकरण के आधार पर व्यय का पुर्नभरण दिये गये निर्देशों के अनुरूप करने में सक्षम होगा।

(9) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से उनके खाते में ही किया जा सकेगा। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को नगद भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

(10) विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 7 संलग्न किये जा रहे हैं। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति /आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा इन निर्धारित प्रपत्रों में सूचना संकलित कर रखना अनिवार्य है।

(11) पोषाहार से सम्बन्धित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के लेखे का अंकेक्षण समय–समय पर किया जा सकेगा।

(12) केयर संपोषित जिलों (भरतपुर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर एवं भीलवाडा) में स्थित आंगनबाडी केन्द्रों में जहां प्रति लाभान्वित बच्चा 8 ग्राम सोया ऑयल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा, उसका पूरा–पूरा उपयोग उपरोक्त निर्धारित रेसीपी के अनुसार गरम भोजन बनाने में किया जायेगा। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को प्रति लाभान्वित प्रतिदिन राशि रू. 1.80 (तेल के मूल्य को कम करते हुए) की दर से पुर्नभरण किया जायेगा।

(13) बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक एवं सहायक पंजीयक/निरीक्षक, सहकारी समितियां समय समय पर आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि लाभान्वितों को निर्धारित रेसीपी के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का गरम पूरक पोषाहार नियमित रूप से उपलब्ध हो रहा है।

मातृ समिति के माध्यम से गरम पूरक पोषाहार वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश

(1) मातृ समिति के माध्यम से उन आंगनबाडी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार बनाने एवं खिलाएं जाने की व्यवस्था उन केन्द्रों पर की जायेगी जो स्कूल परिसर में संचालित नहीं तथा जहां पर सहकारिता विभाग के माध्यम से अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के द्वारा भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसे समस्त आंगनबाडी केन्द्र मातृ समितियों के माध्यम से ही संचालित किये जायेंगे।

(2) जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा गरम पूरक पोषाहार बनाकर उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था की जायेगी वहां पर भी मातृ समितियों को गठन किया जायेगा लेकिन ऐसे स्थानों पर मातृ समितियां पूरक पोषाहार व्यवस्था के सम्बन्ध में केवल पर्यवेक्षण का कार्य ही करेगी।

(3) मातृ समितियों के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के समस्त बच्चों को केन्द्र पर बनाकर माह में 25 दिन गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाना होगा।

(4) मातृ समिति की कार्यकारी समिति के सदस्य सप्ताह/पक्ष/माह के लिए बाजार/मण्डी से खाद्य पदार्थ क्रय कर मानदण्डानुसार कच्ची सामग्री आंगनबाडी सहायिका को उपलब्ध करवायेंगे।

(5) मातृ समिति की निगरानी व सहयोग से सहायिका द्वारा स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रेसीपी के अनुसार खिचडी/दलिया बनाकर केन्द्र पर ही बच्चो को खिलाया जावेगा।

(6) बच्चों को गरम पूरक पोषाहार खिलाते समय हाथ धुलवाना, लाईन में बैठाकर बच्चों को खाना खिलाना, खाने के बाद बर्तनों को धुलवाना आदि स्वास्थ्य नियमों का ध्यान रखा जायेगा।

(7) गरम पूरक पोषाहार व्यवस्था से सम्बन्धित सभी लेखा–जोखा आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा रखा जावेगा।

(8) मातृ समिति के गठन उपरांत मातृ समिति के नाम से एक बैंक/डाकघर में खाता खोला जावेगा। इस खाते का संचालन मातृ समिति अध्यक्षा एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से करेंगे।

(9) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा गरम पूरक पोषाहार की कच्ची सामग्री क्रय करने एवं अन्य फुटकर खर्चो के लिए दो माह की आवश्यकतानुसार बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से मातृ समिति को राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश लेखा सम्बन्धी निर्देशों में अंकित कर दिये गये हैं।

(10) मातृ समिति की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य आदि विस्तृत निर्देश विभागीय आदेश क्रमांक 14226–58 दिनांक 20.09.05 के अनुसार रहेंगे। इन आदेशों में आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले 2 से 6 आयुवर्ग के पंजीकृत लाभान्वितों का उल्लेख किया गया है. उसके स्थान पर नवीन योजना केवल 3 से 6 आयुवर्ग के पंजीकृत लाभान्वितों के लिए ही लागू की जावेगी।

(11) मातृ समितियों द्वारा गरम पूरक पोषाहार पर किये गये व्यय का पुर्नभरण बच्चों की वास्तविक संख्या, उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रू. 2.00 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन होगी। विभाग द्वारा निर्धारित की गई रेसीपी की औसत लागत राशि रू. 1.74 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन है, शेष राशि 26 पैसे का उपयोग लाभान्वित को दी जाने वाली रेसीपी में हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी सब्जियां, आलू आदि के लिए किया जा सकेगा।

स्वयं सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गरम पौष्टिक पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था के लिए भुगतान की व्यवस्था एवं उसके लेखांकन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

(1) मातृ समिति की देखरेख में स्थानीय बाजार से खाद्य सामग्री क्रय करने तथा गरम भोजन पकाने आदि की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें रू. 4000/– (रूपये चार हजार) का एक मुश्त अग्रिम दिया जावेगा। यह अग्रिम बजट मद 3672–स्थायी नकद अग्रिम, 101–सिविल" से आहरित किया जावेगा और अग्रिम राशि का भुगतान सम्बन्धित मातृ समिति के नाम रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से किया जायेगा। यह अग्रिम केवल उन्हीं मातृ समितियों को दिया जावेगा जो गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था स्वयं करेगी, ऐसे केन्द्र जहां पर पोषाहार की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा की जा रही है वहां पर केवल पर्यवेक्षण हेतु गठित मातृ समितियों को कोई अग्रिम देय नहीं होगा।

(2) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी विभागीय निर्देशानुसार मातृ समिति के गठन एवं बैंक खाते की सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम भुगतान की आवश्यक स्वीकृति जारी करेंगे। स्वीकृति के आधार पर अग्रिम का आहरण उनके द्वारा एफ.वी.सी. बिल से किया जावेगा। एक से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों के लिए आवश्यकतानुसार एक अथवा अलग–अलग स्वीकृतियां जारी की जा सकेगी। इसी प्रकार एक या अधिक एफ, वी, सी. बिलों से स्थाई अग्रिम राशि आहरित की जा सकेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान की सूचना को प्रत्येक माह जिला कार्यालय को प्रस्तुत मासिक व्यय विवरण पत्र में पृथक से मद 8672 के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा।

(3) अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के गठन होने पर तथा उनके द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर गरम भोजन तैयार कर उपलब्ध कराने की सहमति के आधार पर सम्बन्धित उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी विभाग द्वारा सम्बन्धित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को अग्रिम राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जयपुर द्वारा जारी किये जायेंगे।

(4) स्थानीय स्तर पर गरम भोजन तैयार कर उपलब्ध कराने के संदर्भ में एतद् द्वारा समस्त अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मातृ समिति की देखरेख में जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर गरम भोजन की व्यवस्था आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के माध्यम से की जानी है उनके द्वारा गरम भोजन बनाने के लिए आवश्यक बर्तन उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा खाली बारदाने की उपलब्ध राशि से की जा सकेगी। प्रारम्भ में जब तक आवश्यक बर्तन उपलब्ध न हो पाये तब तक स्थानीय लोगों की सहायता से बर्तन प्राप्त कर व्यवस्था को चालू/प्रारम्भ किया जावे। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र की अधिकतम आवश्यकता पकाने एवं खाने के लिए निम्न बर्तनों की हो सकती है :–

क.सं.	बर्तन का नाम	संख्या
1	भगोना बडा (मय ढक्कन)	एक
2	भगोना छोटा	एक
3	चमचा	एक
4	क्वार्टर प्लेटस	अधिकतम संख्या 40 उपलब्ध प्लेटस को कम करने के पश्चात
5	टी–स्पून (छोटी चम्मच)	उपरोक्तानुसार

(5) संलग्न प्रपत्र में फार्म्स एवं रजिस्टर्स का मुद्रण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगन बाड़ी केन्द्र को देय 50/– रूपये प्रति माह के आवर्तक व्यय से किया जा सकेगा ।

(6) स्थानीय स्तर पर गरम भोजन तैयार कर उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के निर्णय के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का स्थानीय बाजार से क्रय सम्बन्धित लेखों का संधारण, लेनदेन का रोकड बही में इन्द्राज/प्रविष्टियां लाभान्वितों को गरम भोजन उपलब्ध कराये जाने का रिकार्ड संधारण एवं उपस्थिति के आधार पर क्लेम प्रस्तुत करने आदि के लिए निम्न दिशा निर्देश दिये जाते हैं :–

(i) 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के पंजीकृत बच्चों का नामवार दिनांकवार उपस्थिति प्रपत्र संख्या (1) में आंगनबाडी केन्द्रों पर रखी जावेगी, जिसका मासिक सत्यापन आँगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मातृ समिति की अध्यक्षा/सदस्या द्वारा किया जावेगा तथा प्रतिहस्ताक्षर सम्बन्धित महिला पर्यवक्षक द्वारा किया जावेगा । उपस्थित लाभान्वितों की उपस्थिति ही प्रपत्र में अंकित की जावेगी ।

होगी जो लाभान्वितों की उपस्थिति पंजिका (प्रपत्र संख्या–1) में दर्शित है। इसी प्रपत्र का उपयोग मासिक क्लेम प्रस्तुत करने के लिए होगा, जिसका सत्यापन संयुक्त रूप से आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा मातृ समिति की अध्यक्षा द्वारा किया जावेगा।

(iii) बाजार से कय की गई स्थानीय खाद्य सामग्री का लेखा खाद्य–सामग्री का भण्डार खाता (प्रपत्र संख्या–3) में वस्तुवार रखा जावेगा तथा उपयोग के लिए आहरित सामग्री का दैनिक विवरण भी इसमें अंकित किया जावेगा।

(iv) बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त राशि तथा उक्त राशि से कय की गई स्थानीय सामग्री के लेन–'देन का लेखा सरलीकृत रोकड़ बही (प्रपत्र संख्या–4) में किया जावेगा तथा प्रपत्र में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण किया जावेगा।

(v) एक सेक्टर के अधीन सम्बन्धित आँगनबाड़ी केन्दों के दावें जो प्रपत्र (2) में प्राप्त होंगे उनका एकीकृत दावा प्रपत्र संख्या (5) में सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा तथा दावों की आवश्यक जाँच के पश्चात उन्हें पारित किए जावेगें। कनिष्ठ लेखाकार की टिप्पणी दावे पारित करने से पूर्व ली जावेगी तथा आवश्यक स्वीकृति जारी की जावेगी और स्वीकृति के आधार पर एफ.वी.सी. बिल से निर्धारित बजट मद में जिस में पोषाहार कय के लिए राशि आवंटित की जावे उस मद से राशि आहरित की जावेगी तथा मातृ समिति/स्वयं सहायता समूहवार रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक द्वारा उनके दावों का पुनर्भरण किया जावेगा

(vi) कय किए गये खाद्यान्न सामग्री के उपयोग तथा शेष का मासिक विवरण प्रपत्र 6 में प्रति माह सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा ।

(7) स्वंय सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति जो कि किसी आंगनबाडी केन्द्र के लिए गरम भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत की जावे, उसके द्वारा निर्धारित रेसीपी में जो सामग्री यथा खिचडी, दलिया उपलब्ध करवाया जावेगा, उसक लिए गुड, नमक, मूंगदाल छिलका, हरी सब्जियां आदि का कय स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय हाट बाजार आदि से किया जा सकेगा। सामग्री का कय पूर्ण मितव्ययता के साथ एवं अच्छी गुणवत्ता का किया जावेगा।

(8) बैंक खाते से राशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा। स्थानीय बाजार से खाद्य सामग्री का कय तथा अन्य इससे सम्बन्धित छोटे व्यय इस राशि क लिए किये जायेंगे।

(9) आहरित राशि के व्यय होने तक राशि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने पास रखी जावेगी तथा उसके लिए वह स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी ।

(10) स्थानीय खाद्य सामग्रियों का भुगतान एवं अन्य व्यय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा समिति की अध्यक्षा की मौजूदगी में किया जावेगा ।

(11) किसी भी कारण से स्थानीय स्तर पर गरम भोजन उपलब्ध करवाने की यह स्कीम बन्द की जाती है तो उपलब्ध करवाई गई स्थाई अग्रिम राशि का समायोजन समिति के द्वारा

प्रस्तुत/विचाराधीन क्लेम से तथा शेष राशि यदि कोई हो तो उसकी वसूली समिति के खातें में उपलब्ध राशि से की जावेगी ।

(12) जिन मामलों में उक्त व्यवस्था स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जावेगी उन मामलों में सम्बन्धित समूह तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के मध्य निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध भी निष्पादित किया जावेगा ।

(13) सामान्यतया स्वयं सहायता समूह/मातृ समिति/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था एक दिन पूर्व उपस्थित पंजीकृत बच्चो की संख्या को ध्यान में रखते हुए की जावेगी जब तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अन्यथा प्रकार से सूचित नहीं किया जावें ।

(14) उपरोक्त समस्त व्यवस्था का निरीक्षण सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकेगा ।

(15) निदेशालय निरीक्षण विभाग द्वारा राज्य सरकार से निर्धारित नोर्म्स के अनुसार व्यवस्था का निरीक्षण एवं अंकेक्षण किया जा सकेगा ।

(16) विभागीय/महालेखाकार के अंकेक्षण जांच दल द्वारा भी अंकेक्षण किया जा सकेगा ।

(18) यदि किन्ही परिस्थितियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का स्थानान्तरण होता है/वह त्याग पत्र देती है/अथवा किन्हीं परिस्थितियों में उपस्थित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मातृ समिति के खातें को संचालित करने के लिए अधिकृत कर सकेगा। पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की देयता उसके बकाया मानदेय/अन्य दावा राशि से वसूल की जा सकेगी ऐसी परिस्थितियों में बिना अदेय प्रमाण–पत्र के किसी भी प्रकार का भुगतान त्याग पत्र देने वाली कार्यकर्ता को नहीं किया जावेगा ।

निदेशक एवं उप शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज. जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/एस.एच.जी./मबावि/2005/92286-340 जयपुर, दिनांक 12/11/05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
5 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
7 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

संयुक्त निदेशक (पोषाहार)